Killing of Foreign Hostages by the Militants

514. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it was reported in the Press that the two Britons among the four foreign hostages held by the militants in the Kashmir valley are reported to have been killed;

(b) if so, whether Government have confined the rejwrt;

(c) the reasons for not taking any action to get them released; and

(d) whether all the efforts of media, including foreign help, to get them released have so far failed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI SR. BALASUBRAMANIYAN): (a) and (b) Government are aware of Press reports as indicated in the question. However, such reports could not be verified, and Government do not have any official confirmation about the killing of two British nationals abducted in J&K in the month of July, 1995.

(c) and (d) Government has been keeping a close watch on the situation and have been taking all possible measures to ensure the safe release of the foreigners abducted, while keeping in view that no such percipitate action is taken which could jeopardise the lives of the hostages.

बंजरभूमि विकास बोर्ड के संबंध में दिशानिर्देश

515. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1994-95 के दौरान बंजरभूमि विकास बोर्ड के संबंध में किन्हीं दिशानिर्देशों को जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (चंद्रदेव प्रसाद वर्मा): (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना योजना सहित सभी क्षेत्र विकास योजनाओं के लिए वाटरशेड विकास हेतु सामान्य मार्गदर्शिकाएं जारी की हैं। बंजरभूमि विकास विभाग ने निम्नलिखित के संबंध में मार्गदर्शिकाएं जारी की हैं:—

(1) निवेश संवर्धन योजना,

(2) प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार एवं प्रशिक्षण योजना,

(3) बंजरभूमि विकास कार्य दल,

(ग) इन योजनाओं के मुख्य उद्देश्य संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

विवरण

1. वाटरशेड विकास कार्यक्रम के उद्देश्य:

(1) ग्राम समुदाय के आर्थिक विकास का संवर्धन करना जो निम्नलिखित की मार्फत वाटरशेड पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है:—

(क) भूमि, जल, वनस्पति, आदि जैसे वाटरशेड के प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना जिससे सूखे का प्रतिकूल प्रभाव कम होगा और पारिस्थितिक निम्नीकरण को और आगे रोकने में मदद मिलेगी।

(ख) बचतों और अन्य आय सृजन करने वाली गतिविधियों का विकास करने के उद्देश्य से रोजगार सृजन और गांव के मानव संसाधन और अन्य आर्थिक संसाधनों का विकास करना।

(2) निम्नलिखित की मार्फत गांव में पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने हेतु प्रोत्साहन देना:—

(क) सृजित परिसम्पत्तियों के संचलन और रख रखाव के लिए स्थायी सामुदायिक कार्रवाई करना और वाटरशेड में प्राकृतिक संसाधनों की संभाव्यता का और अधिक विकास करना।

(ख) साधारण, आसान एवं किफायती तकनीकी समाधानों और संस्थागत व्यवस्थाओं की मार्फत जो स्थानीय तकनीकी जानकारी एवं उपलब्ध सामग्री का इस्तेमाल करते हैं।

(3) परिसम्पत्तिहीन और महिलाओं जैसे वाटरशेड समुदाय के संसाधनविहीन और उपेक्षित वर्गों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाने पर निम्नलिखित की मार्फत विशेष बल:—

(क) भूमि और जल संसाधनों के विकास तथा इसके परिणामस्वरूप हुए बायोमास उत्पादन के लाभों का और भी अधिक समान वितरण करके।

(ख) आय सृजन के अवसर तक और भी अधिक पहुंच द्वारा तथा उनके मानव संसाधन विकास पर बल देकर।

2. निवेश संवर्धन योजना के उद्देश्य:

(1) योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर बनेतर बंजरभूमि के विकास का संवर्धन करना/सुलभ बनाना है। योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रयोक्ता उद्योगों तथा अन्य उद्यमियों सहित वित्तीय संस्थाओं, निगमित निकायों से अलग-अलग किसानों, समुदाय, संस्थानों, सरकारी एजेंसियों आदि से संबंधित बनेतर क्षेत्रों में बंजरभूमि के विकास के लिए संसाधन सुलभ कराना/आकृष्ट करना/जुटाना/वितरण करना है।

(2) बंजरभूमि को स्थायी रूप से उपयोग में लाना तथा इस भूमि से उत्पादकता तथा पौधरोपण में सुनिश्चित वृद्धि करना ताकि पारिस्थितिक संरक्षण कायम रह सके।

(3) वाणिज्यिक/आर्थिक वृक्षारोपण बागवानी, वृक्षों और पशुचारे के लिए उन्नत जैविक सामग्री की मार्फत ग्रामीण गरीबों को रोजगार सृजन के रूप में पर्याप्त लाभ पहुंचाना।

3. प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार एवं प्रशिक्षण योजना:—

(क) बंजरभूमि की विभिन्न श्रेणियों, विशेषकर मृदा-अपरदन, भूमि निम्नीकरण, खारापन, क्षारीयता, जल जमाव आदि के कारण प्रभावित समस्याग्रस्त भूमि के विकास के लिए उपयुक्त, किफायती और उचित प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करना।

(ख) बंजरभूमि के विकास के लिए स्थायी आधार पर प्रदर्शन के नमूनों के तौर पर स्थान विशिष्ट प्रायोगिक परियोजना का कार्यान्वयन करना।

(ग) मत्स्यपालन, बत्तख पालन, मधुमक्खी पालन आदि सहित भूमि आधारित गतिविधियों की मार्फत बंजरभूमि के विकास के लिए प्रायोगिक परियोजनायें आरंभ करना।

(घ) नयी और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों और बंजरभूमि विकास संवर्धन के लिए ऐसी प्रौद्योगिकियों की उपयोगिता के बारे में अनुसंधान निष्कर्षों का प्रचार-प्रसार करना।

4. बंजरभूमि विकास कार्यदल के उद्देश्य:

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के दुर्गम और काफी निम्नीकृत बेहड़ के विकास के लिए मार्च, 1995 में एक बंजरभूमि विकास कार्यदल का सृजन किया गया था जिसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं:—

(क) वनरोपण की मार्फत बंजरभूमि के पुनः संवर्धन एवं विकास के लिए एक अनुशासित दल की व्यवस्था करना जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

—मृदा एवं नमी संरक्षण

—वृक्षारोपण

—वृक्षारोपण का रख-रखाव

—संरक्षण

(ख) भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार मुहैया कराना

Dissatisfaction over Revised Scheme of Conversion of Leasehold System

516. SHRI O.P. KOHLI: Will the PRIME MINSTER be pleased to state:

(a) whether the Apex Association of DDA colonies has expressed dissatisfaction over the revised scheme for conversion of lease-hold properties into freehold announced by Government;

(b) if so, what are the grounds of their dissatisfaction;

(c) whether Government are considering to give cost-free conversion of 50sq. meters to the flat owners as is given to the plot holders; and

(d) if no-t, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (DR. U. VENKATESWARLU): (a) to (d) Since the inception of the Scheme in 1992, the Apex Association of DDA colonies had taken up the matter for free conversion of 50 Sq. Mtrs. flats and had also raised the matter before the Delhi High Court.

After detailed examination of the matter it was revealed that construction of flats cannot be equated with normal type of construction because of density consideration and the number of units as could